

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं.38
उत्तर देने की तारीख 24 जुलाई, 2024

सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी

*38. श्री योगेन्द्र चांदोलिया:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ऐसे सीमावर्ती गांवों की संख्या और ब्यौरा क्या है जहां मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है;
- (ख) सरकार द्वारा सामरिक सीमा क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और
- (ग) सभी सीमावर्ती गांवों को कब तक मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

उत्तर
संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी" के संबंध में दिनांक 24 जुलाई, 2024 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 38 के भाग (क) से (ग) के संबंध में लोक सभा के पटल पर रखा जाने वाला विवरण

(क) से (ग) मई, 2024 तक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) और दूरसंचार विभाग की फील्ड इकाइयों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के 17,611 गांवों/आबाद स्थानों में से लगभग 16,818 गांवों में मोबाइल कवरेज है और इनमें से 16,515 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध है। सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों/आबाद स्थानों में मोबाइल कवरेज का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा उनकी तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर चरणबद्ध रूप से आबादी वाले सेवा से वंचित गांवों को मोबाइल कवरेज प्रदान किया जाता है। सरकार सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से वित्तपोषण के माध्यम से देश के सेवा से वंचित गांवों को मोबाइल नेटवर्क कवरेज प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों सहित देश में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अन्य पहल की हैं। इनमें निम्नलिखित पहल शामिल हैं:-

- सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की संस्थापना को सुगम बनाने के लिए अगस्त 2022 में लाइसेंसिंग शर्तों में संशोधन किया गया।
- दूरसंचार अवसंरचना के त्वरित और सुगम रॉलआउट के लिए भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 और समय-समय पर संशोधन नियम बनाकर जारी किया गया।
- मोबाइल टावरों की संस्थापना के लिए मार्ग के अधिकार (आरओडब्ल्यू) की अनुमति आसानी से प्रदान करने के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल शुरू किया गया है ताकि मार्ग के अधिकार (आरओडब्ल्यू) की मंजूरी तेजी से मिल सके।

अनुबंध-1

"सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी" के संबंध में माननीय संसद सदस्य द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 38 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों/आबाद स्थानों में मोबाइल कवरेज का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गांवों/आबाद स्थानों की कुल संख्या	उन गांवों/आबाद स्थानों की कुल संख्या जहां मोबाइल कवरेज उपलब्ध है	उन गांवों/आबाद स्थानों की कुल संख्या जहां 4जी मोबाइल कवरेज उपलब्ध है
1	अरुणाचल प्रदेश	1502	1103	965
2	असम	1237	1237	1237
3	बिहार	1128	1128	1128
4	गुजरात	131	125	123
5	हिमाचल प्रदेश	238	219	197
6	जम्मू और कश्मीर	1827	1806	1799
7	लद्दाख	117	111	94
8	मणिपुर	263	215	180
9	मेघालय	1272	1247	1220
10	मिजोरम	378	362	360
11	नागालैंड	135	103	103
12	पंजाब	1529	1529	1529
13	राजस्थान	1322	1234	1231
14	सिक्किम	68	66	66
15	त्रिपुरा	345	304	303
16	उत्तर प्रदेश	1196	1187	1171
17	उत्तराखण्ड	705	626	595
18	पश्चिम बंगाल	4218	4216	4214
	कुल	17,611	16,818	16,515
